

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, सहारनपुर, कन्नौज, जालौन, बांदा, बदायूं, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, लखनऊ, इटावा, गौतमबुद्धनगर, बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, मथुरा, हापुड़, वाराणसी, मुरादाबाद एवं गाजियाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक:०१ अप्रैल, 2020

विषय:- नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव व प्रबन्धन हेतु जनपदों में स्थापित मेडिकल कालेजों में आवश्यक उपकरणों/ कन्ज्यूमेबल आदि क्रय करने के लिये धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-756/71-2-2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, पत्र संख्या-783/71-2-2020-698/2020 टी०सी०, दिनांक 26 मार्च, 2020 एवं पत्र संख्या 798/71-2-2020-698/2020 टी०सी०, दिनांक 30 मार्च, 2020 (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के उक्त पत्रों में उल्लिखित राजकीय मेडिकल कालेज/मेडिकल संस्थान/प्राइवेट मेडिकल कालेजों में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव व प्रबन्धन हेतु आवश्यक उपकरणों/कन्ज्यूमेबल आदि क्रय करने किये जाने के लिए धनराशि अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 29,50,00,000/- (रुपये उन्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से जनपद के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)
1 मेरठ	250.00
2 आगरा	250.00
3 कानपुर नगर	250.00
4 झांसी	200.00
5 प्रयागराज	200.00
6 गोरखपुर	200.00
7 अम्बेडकरनगर	50.00
8 आजमगढ़	50.00
9 सहारनपुर	50.00
10 कन्नौज	50.00
11 जालौन	50.00
12 बांदा	50.00
13 बदायूं	50.00
14 अयोध्या	50.00

15	बस्ती	50.00
16	बहराइच	50.00
17	फिरोजाबाद	50.00
18	शाहजहांपुर	100.00
19	लखनऊ	250.00
20	इटवा	50.00
21	गौतमबुद्धनगर	150.00
22	बाराबंकी	50.00
23	सीतापुर	50.00
24	बरेली	50.00
25	मुजफ्फरनगर	50.00
26	उन्नाव	50.00
27	मथुरा	50.00
28	हापुड़	50.00
29	वाराणसी	50.00
30	मुरादाबाद	50.00
31	गाजियाबाद	50.00
कुल योग		2950.00
		(रुपये उन्तीस करोड़ पचास लाख मात्र)

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) उपरोक्त धनराशि से कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रबन्धन हेतु आवश्यक उपकरणों/ कन्ज्यूमेबल आदि क्रय करने तथा क्वारन्टाइन वार्ड्स की स्थापना के लिये चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर/गाईडलाइन्स पर सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्य/निदेशक/विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा पूर्ण औचित्य के साथ जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखा जायेगा, जिसपर जिलाधिकारी द्वारा यथावश्यक निर्णय लिया जायेगा।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक '2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 168 (1) / एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, तददिनांक।

- प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
 - 2- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
 - 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
 - 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
 - 6- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
 - 7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
 - 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
 - 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय गोयल)
सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-01/04/2020

प्रेषण संख्या:- 168
आवंटन आदेश संख्या:- 006-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 15000000	5000000 15000000
2	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
3	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 35000000	25000000 35000000
4	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
5	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 35000000	25000000 35000000
6	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 15000000	5000000 15000000
7	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
8	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 15000000	5000000 15000000
9	शाहजहाँपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 15000000	10000000 15000000
10	इटवा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
11	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 35000000	25000000 35000000
12	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 30000000	20000000 30000000
13	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 30000000	20000000 30000000
14	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
15	बाँदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
16	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 15000000	5000000 15000000
17	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 30000000	20000000 30000000
18	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
19	आजमगढ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
20	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 35000000	25000000 35000000
21	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
22	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
23	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
24	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
25	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
26	गाजियाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 15000000	5000000 15000000
27	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
28	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
29	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 25000000	15000000 25000000
30	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
31	हापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	295000000 515000000	295000000 515000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उन्तीस करोड़ पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्यावन करोड़ पचास लाख

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वर्षा वित्त एवं लेखा
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-756/71-2-2020
लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2020

52-9

सचिव/राहत
आयुक्त,
उ0प्र0।

कृपया कोविड-19 से बचाव व प्रबन्धन हेतु युक्ति-युक्त प्रस्ताव राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन अधोलिखित 06 जिलों में पुराने मेडिकल कालेज हैं:-

क्रम संख्या	जिले का नाम	मेडिकल कालेज का नाम
1	आगरा	एस0एन0, मेडिकल कालेज, आगरा
2	कानपुर नगर	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर।
3	प्रयागराज	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4	झांसी	एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी।
5	मेरठ	एल0एल0 आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ।
6	गोरखपुर	वी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

उपरोक्त जनपदों में प्रति जनपद रू0 2.00-2.00 करोड़ अर्थात कुल रू0 12.00 करोड़।

निम्न जनपदों में 12 नये मेडिकल कालेज/स्वशासी मेडिकल कालेज हैं:-

क्रम संख्या	जिले का नाम	मेडिकल कालेज का नाम
1	अम्बेडकरनगर	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
2	आजमगढ़	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
3	सहारनपुर	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर
4	कन्नौज	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
5	जालौन	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
6	बौदा	राजकीय मेडिकल कालेज, बौदा
7	बदायूँ	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ
8	अयोध्या	ए0एस0एम0सी0, अयोध्या।
9	बस्ती	ए0एस0एम0सी0, बस्ती
10	बहराइच	ए0एस0एम0सी0, बहराइच
11	फिरोजाबाद	ए0एस0एम0सी0, फिरोजाबाद।
12	शाहजहाँपुर	ए0एस0एम0सी0, शाहजहाँपुर।

उपरोक्त 12 जनपदों में प्रति जनपद रू0 50.00 लाख अर्थात कुल रू0 6.00 करोड़।

ॐ.

उक्त के अतिरिक्त जनपद लखनऊ में अलग से रू0 2.00 करोड़ अर्थात् कुल योग-रू0 20.00 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी।

3- उक्त धनराशि चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रबन्धन हेतु आवश्यक उपकरणों/कन्ज्यूमेबल आदि के क्रय हेतु संबंधित मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्य/निदेशक/विश्वविद्यालय के कुलपति की माँग पर जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के आदेश निर्गत करने की कृपा करें। सम्बन्धित प्रधानाचार्य/निदेशक/विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा पूर्ण औचित्य के साथ जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखा जायेगा, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा यथावश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

कृपया यथोचित आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

५.
(मार्कण्डेय शाही)
विशेष सचिव।

4353/संशा-बे०शि०-संशा०/2020
50-10
नरकान

159/एक-10-2020

कोविड-19

तत्काल

(संजय गोयल)
सचिव राजस्व, बेसिक शिक्षा विभाग
एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या- 783/71-2-2020-698/2020 टी०सी०

लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2020

52-13

सचिव/राहत आयुक्त,
उ०प्र०।

कृपया कोविड-19 से बचाव व प्रबन्धन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने विषयक चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के पत्रांक-756/71-2-2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन 18 मेडिकल कालेज/स्वाशासी मेडिकल कालेजों तथा जनपद-लखनऊ हेतु कुल धनराशि रु० 20.00 करोड़ की आवश्यकता से अवगत कराते हुए उक्त धनराशि संबंधित मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्य/निदेशक, विश्वविद्यालय के कुलपति की मांग पर जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने के आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत उक्त मेडिकल कालेज/स्वाशासी मेडिकल कालेज के अतिरिक्त उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, उ०प्र० एवं जनपद-गौतमबुद्धनगर में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा एवं सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा भी सम्मिलित है।

4- अतः उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित मेडिकल कालेज/स्वाशासी मेडिकल कालेज तथा जनपद-लखनऊ के अतिरिक्त उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, उ०प्र० हेतु रु० 50.00 लाख तथा जनपद-गौतमबुद्धनगर में अवस्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा/सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा, उ०प्र० हेतु रु० 100.00 लाख अर्थात् कुल रु० 150.00 लाख संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति/संस्थान के निदेशक की मांग पर जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने के आदेश निर्गत करने की कृपा करें।

प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति/निदेशक, संस्थान द्वारा पूर्ण औचित्य के साथ जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखा जायेगा, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा यथावश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

कृपया यथोचित आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

गौतम बुद्ध नगर
27.3.2020

(मार्कण्डेय शाही)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या- 798/71-2-2020-698/2020टी0सी0

लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2020

सचिव,
राजस्व/राहत आयुक्त,
उ0प्र0।

कृपया कोविड-19 से बचाव व प्रबन्धन हेतु चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के पत्र संख्या-756/71-2-2020, दिनांक 24.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के अधीन पुराने मेडिकल कालेज से संबंधित 06 जनपदों हेतु प्रति जनपद रू0 2.00 करोड़, 12 नये मेडिकल कालेज/स्वशासी मेडिकल कालेज से संबंधित 12 जनपदों हेतु प्रति जनपद रू0 50.00 लाख एवं लखनऊ जनपद हेतु पृथक से रू0 2.00 करोड़, कुल मिलाकर रू0 20.00 करोड़ संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 27.03.2020 द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, उ0प्र0 हेतु रू0 50.00 लाख तथा जनपद-गौतमबुद्धनगर में अवस्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा/सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा, उ0प्र0 हेतु रू0 100.00 लाख अर्थात् कुल रू0 150.00 लाख संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने के आदेश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 27 प्राइवेट मेडिकल कालेज (छायाप्रति संलग्न) संचालित हो रहे हैं। उक्त मेडिकल कालेजों में भी कोविड-19 के प्रबन्धन एवं उपचार हेतु आइसोलेशन बेड्स व quarantine Wards तैयार किये गये हैं। उक्त संबंधित प्राइवेट मेडिकल कालेज में कोरोना वायरस से संक्रमित भर्ती मरीजों के उपचार हेतु रू0 50.00-50.00 लाख रुपये जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने के आदेश निर्गत करने का कष्ट करें। कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु आवश्यक उपकरणों/कंज्यूमेबल आदि के क्रय हेतु प्राइवेट मेडिकल कालेज के प्रबन्धक की औचित्य सहित मांग पर संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर जनपद के जिलाधिकारी द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

कृपया उपर्युक्त के संबंध में यथोचित आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न-4थीव

(मार्कण्डेय शाही)
विशेष सचिव।

प्राइवेट मेडिकल कालेजों का विवरण।

क्रमांक	जनपद	मेडिकल कालेज
1.	लखनऊ	एरा मेडिकल कालेज, प्रसाद मेडिकल कालेज, कैरियर मेडिकल कालेज, टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज, इन्टीग्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
2.	बाराबंकी	हिंद इन्स्टीट्यूट ऑफ ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेयो मेडिकल कालेज।
3.	सीतापुर	हिंद इन्स्टीट्यूट ऑफ ऑफ मेडिकल साइंसेज।
4.	कानपुर	रामा मेडिकल कालेज।
5.	आगरा	एफ0एच0 मेडिकल कालेज।
6.	बरेली	एस0आर0एम0एस0 मेडिकल कालेज, रोहिल खण्ड मेडिकल कालेज, राजश्री मेडिकल कालेज।
7.	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज।
8.	ग्रेटर नोएडा	स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज।
9.	मेरठ	सुभारती मेडिकल कालेज, मुलायम सिंह मेडिकल कालेज।
10.	उन्नाव	सरस्वती मेडिकल कालेज।
11.	मथुरा	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज, के0डी0 मेडिकल कालेज।
12.	शाँहजहाँपुर	वरुणार्जुन मेडिकल कालेज।
13.	हापुड़	जी0एस0 मेडिकल कालेज, सरस्वती मेडिकल कालेज, प्रिया मेडिकल कालेज।
14.	वाराणसी	हेरीटेज इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
15.	मुरादाबाद	तीर्थाकर मेडिकल कालेज।
16.	गाज़ियाबाद	संतोष मेडिकल कालेज।